न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 10 / 2019 / जैसलमेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. सरकार जरिये तहसीलदार जैसलमेर	**बनाम**1.जगदीश जोशी पुत्र स्व0 वल्लभदास जोशी 2.आनन्द जोशी पुत्र स्व0 वल्लभदास जोशी 3.श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. वल्लभदास जोशी 4.फतेहचन्द जोशी पुत्र स्व. किशनलाल जोशी 5.गोपालदास जोशी पुत्र स्व. किशनलाल जोशी 6.लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. गोविन्दलाल जोशी 7.मुकेश कुमार पुत्र स्व. गोविन्दलाल जोशी जातियान ब्राहमण निवासीगण काहला तहसील व जिला जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 57 / 2014 निर्णय दिनांक 19.03.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जितेन्द्र स्वामी रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 22.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण / रेस्पोडेंटस को ग्राम काहला के खसरा संख्या 264 रकबा 15.02 बीघा एवं खसरा संख्या 265 में रकबा 43.02 बीघा कुल रकबा 58.04 बीघा का खातेदार घोषित किया है जबकि उक्त खसरों पर रेस्पोडेंटस का कब्जा काश्त पुराना व नया लगातार हो यह साबित नहीं है और उक्त नये खसरे पुराने समरी के खसरा 13 से बने हो यह भी साबित नहीं है नियममित बंदोबस्त में जिसका भी कब्जा काश्त भूमि पर था उसको उस भूमि का खातेदार घोषित किया गया, विवादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंटस का कब्जा काश्त नहीं होने से उक्त भूमि को सरकारी दर्ज है। रेस्पोडेंट विवादग्रस्त भूमि पर कभी कभार अतिक्रमण होने से अतिक्रमी को खातेदारी घोषित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

करने में अधीनस्थ न्यायालय वैधानिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 19.03.2015 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने लिखित बहस के साथ–साथ मौखिक बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/रेस्पोडेंटस को ग्राम काहला के खसरा संख्या 264 रकबा 15.02 बीघा एवं खसरा संख्या 265 में रकबा 43.02 बीघा कुल रकबा 58.04 बीघा का खातेदार घोषित किया है जबकि उक्त खसरों पर रेस्पोडेंटस का कब्जा काश्त पुराना व नया लगातार हो यह साबित नहीं है और उक्त नये खसरे पुराने समरी के खसरा 13 से बने हो यह भी साबित नहीं है नियममित बंदोबस्त में जिसका भी कब्जा काश्त भूमि पर था उसको उस भूमि का खातेदार घोषित किया गया, विवादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंटस का कब्जा काश्त नहीं होने से उक्त भूमि को सरकारी दर्ज है। रेस्पोडेंट विवादग्रस्त भूमि पर कभी कभार अतिक्रमण होने से अतिक्रमी को खातेदारी घोषित करने में अधीनस्थ न्यायालय वैधानिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट (वादीगण) की ग्राम काहला तहसील जैसलमेर में भूमि समरी खसरा संख्या 13 में रकबा 123.10 बीघा में वर्तमान खसरा संख्या 245 में रकबा 40.15 बीघा, खसरा संख्या 65 में 24.11 बीघा,

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कुल रकबा 65.06 बीघा खातेदारी में दर्ज की व शेष 58.04 बीघा भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया। शेष भूमि बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दोहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कोई तब्दीली, कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अपीलाधीन आराजी में रेस्पोडेंटस का वक्त समरी से लगतार कब्जा काश्त है। जिसमें वादीगण/रेस्पोडेंटस की रहवासी ढाणी, कुआं, मंदिर, पुराना धोरा, पशुओं के लिए बाड़ा स्थित है।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की वास्तविक जानकारी दिनांक 15.03.2019 को उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय में अन्य व्यक्तिओं द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 12/2018 बअनवान ओमप्रकाश वगैरा बनाम जगदीश वगैरा में बहस के समय प्राप्त हुई। उक्त अपील की प्रति अपीलांट प्रार्थी को पूर्व में प्राप्त नहीं हुई, सिर्फ उपस्थिति दर्ज की गयी थी, प्रार्थी अपीलांट द्वारा उक्त निर्णयों की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर उसका परीक्षण करवाया गया इस दौरान प्रार्थी को लोकसभा चुनाव करवाने, अकाल राहत कार्यों की व्यवस्था देखने एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों पर व्यस्त रहने के कारण अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है। अपीलांट द्वारा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। अपीलांट के द्वारा अपील सुदीर्घ अवधि तकरीबन 05 वर्ष 03 माह से अधिक देरी से पेश की गई है जबकि देरी के प्रत्येक दिन का वर्णन देकर उचित कारण बताना होता है। अपीलांटस ने अपील पेश करने में हुए विलंब का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपीलांट की अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। प्रार्थी/अपीलांट के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ है कि ग्राम काहला तहसील जैसलमेर के सरसरी बंदोबस्त खतौनी (EXP-1) खसरा संख्या 13 में रकबा 28.15 बीघा बाजरिया 5 हल भूमि किशनलाल वल्द प्रतापचंद (रेस्पोडेंट संख्या 04 व 05 के पिता) कौम ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज थी जो खसरा बंदोबस्त समरी ग्राम काहला (EXP-2) से भी प्रमाणित है। तुलनात्मक रजिस्टर ग्राम काहला (EXP-4) के मुताबिक खसरा संख्या 13 में दो पृथक–पृथक नामो (तेगड़ा एवं सान्डेवाला) से खेत क्रमशः 72 बीघा व 51.15 बीघा कुल 123.15 बीघा था जिसके वर्तमान खसरा संख्या 65 व 245 रकबा क्रमशः 24.11 बीघा व 40.15 बीघा कुल 65.06 बीघा उनकी खातेदारी में दर्ज हुआ और इसमें 58.09 बीघा की कमी दर्ज की गई है जिसकी पर्चा खतौनी (EXP-5) जारी की गई। इसके अतिरिक्त भू–प्रबंध खसरा ग्राम काहला (EXP-6) मुताबिक हाल खसरा संख्या 245 रकबा 40.15 बीघा समरी के खसरा संख्या 13 रकबा 72 बीघा बाजरिया से निर्मित होना भी प्रमाणित है जबकि खसरा संख्या 244 (तेगड़ा) रकबा 26.00 बीघा समरी के खसरा संख्या 05 रकबा 28.15 बीघा से सृजित हुआ बताया गया है जो किशनलाल के खाते में दर्ज है। भू–प्रबंध विभाग की खतौनी जमाबंदी संवत 2028–48 पृष्ठ 33 ग्राम काहला के अनुसार दावाकृत खसरा संख्या 264 व 265 रकबा क्रमशः 15.02 बीघा व 99.15 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा दर्ज है। जो वर्तमान में जमाबंदी संवत 2068–2071 में यथावत प्रविष्टि है। **सरकारी गवाह मनोजकुमार पटवारी काहला के बयानों के मुताबिक मौजा काहला के वादग्रस्त खसरा संख्या 264 रकबा 15.02 बीघा गैर मुमकिन मगरा (खनिज संभावित क्षेत्र) राजकीय भूमि दर्ज है।** वादग्रस्त भूमि सरकारी होने के कारण इस पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत एक अन्य अपील संख्या 12/2018 भी न्यायालय हाजा में विचाराधीन होकर दिनांक 15.03.2019 को निर्णीत हो चुकी है जिसमें अपीलांट्स ओमप्रकाश, मुरलीराम व दलपराज ने इस भूमि पर अपना कब्जा काश्त होने का दावा किया। उक्त अपील संख्या 12/2018 में निष्कर्ष रहा है कि **"मौजा काहला के खसरा संख्या 264 रकबा 15.02 बीघा गैर मुमकिन मगरा खनिज संभावित क्षेत्र है खसरा संख्या 265 रकबा 99.15 बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा खनिज संभावित क्षेत्र राजकीय भूमि दर्ज है इसलिए अपीलांटगण को यह भी भलीभांति जानकारी है कि उक्त विवादित खसरा संख्या 264 व 265 गैर मुमकिन मगरा की भूमि खनजि संभावित क्षेत्र के तहत होने से इस पर उन्हे**

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खातेदारी नहीं मिल सकती।" समरी बंदोबस्त का खसरा संख्या 13 के संबंध में रिकॉर्ड भी संदिग्ध है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य यथा: खसरा परिवर्तनशील इत्यादि नहीं है, जो यह साबित करता हो कि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंटस का कभी कब्जा काश्त रहा हो। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर के मूल वाद संख्या 57/2014 बनवान जगदीश वगैराह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2015 को अपास्त किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 22.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner